तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
6.8.24	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे पूर्व मे उभय पक्ष की बहस सुनी जा चुकी है। अपील अपीलान्ट की सिद्ध नही होने से खारिज कि जाती है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूं जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

अपील संख्या : 03/23

1:- सीमादेवी सैन पुत्री लादुलाल नाई निवासी बाण्डा हा.मु.पति राधेश्याम नई नि.पारसोली तह0 बेंगू

.........अपीलांट

– बनाम –

1:- अंकित पिता लादूलाल नाई निवासी सामरिया खुर्द तह. बेंगूॅ
2:- अनोप पुत्री लालू नाई निवासी सामरिया खुर्द तह. बेंगूॅ
3:- अर्चना पुत्री लादूलाल नाई निवासी सामरिया खुर्द तह. बेंगूॅ
4:- कमला पुत्री लालू नाई निवासी सामरिया खुर्द तह. बेंगूॅ
5:- कृष्णा पुत्री लादूलाल नाई निवासी सामरिया खुर्द तह. बेंगूॅ
6:- गीता पत्नी लादूलाल नाई निवासी सामरिया खुर्द तह. बेंगूॅ
7:- बंशीलाल पिता लालू नाई निवासी सामरिया खुर्द तह. बेंगूॅ
8:- बदाम पुत्री लालू नाई निवासी सामरिया खुर्द तह. बेंगू
9:- श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार सहाब तहसील बेंगू

...........रेस्पोंडेंटस

उपस्थित :: लालूराम कुमावत
अधिवक्ता अपीलांट
शंम्भूलाल चतुर्वेदी
अधिवक्ता रेस्पोंडेंटस

आदेश दिनांक : 06.8.2024

आदेश अपील विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत सामरिया कंला द्वारा मौजा बाण्डा के नामान्तरण संख्या 146 निर्णित दिनांक 15.02.2008

संक्षिप्त में अपील पत्र इस प्रकार से है कि अपीलार्थी सीमादेवी की ओर से अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 146 ग्राम बाण्डा ग्राम पंचायत सामरिया कंला द्वारा निर्णय दिनांक 15.02.2008 के विरूद्ध अधिवक्ता श्री लालुराम कुमावत द्वारा निम्न बिन्दुओ के आधार पर प्रस्तुत की है:

यह कि मौजा बाण्डा प0ह0 सामरियाकंला मे अपीलान्ट की पैत्रिक संयुक्त कृषि की खाता स. 34 अराजी स.275 कुल कित 01 कुल रकबा 0.2830 है.भूमि जमाबंदी में अंकित है।

यह कि अपीलान्ट के पिता लादूलाल पिता लालू नाई के स्वर्गवास के पश्चात राजस्व कर्मचारीयों द्वारा खोले गये नामंन्तरण स. 146 दिनांक 1.02.2008 मे बिना तथ्यों की जानकारी किये मृतक के वारिसान सही नाम का पता किये बिना अपीलान्ट सीमादेवी का नाम "नानी" गलत अंकित कर दिया जो राजस्व कर्मचारीयों की लिपिकीय भूलवश अंकित हुआ है। जिसे सुधारा जा कर "नानी" के स्थान सीमादेवी राजस्व रेकार्ड मे दर्ज अंकित किया जावे।

अपील प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन से तलब किया जाने पर रेस्पा. स. 1,3,4,6,7 कि और से वकील श्री शंम्भूलाल चतुर्वेदी ने अधिकार पत्र के साथ जवाब पेश कर अपील प्रा. पत्र स्वीकार किये जाने मे पूर्ण सहमति प्रकट कि गई है। रेस्पो. स. 2,5,8 न्यायालय मे उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाने के पश्चात प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस घ्यान पूर्वक सूनी गई तथा पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का हमारे द्वारा गहन अवलोकन किया गया। अपीलान्ट अपील प्रार्थना पत्र 75 एलआर एक्ट के तहत नाम शुद्धि कराना चाहते है। जबकि नाम शुद्धि के लिए अलग से प्रावधान मौजुद है तथा अपीलान्ट ने प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेज नकल बैंक आफ बडौदा की पास बुक नकल मतदाता परिचय पत्र नकल जॉब कार्ड नकल आधार कार्ड नकल जन आधार नकल राशन कार्ड उक्त सभी दस्तावेजों मे सीमादेवी पति राधेश्याम निवासी पारसोली दर्ज अंकित है प्रकरण मे प्रस्तुत उक्त दस्तावेजों से ये सिद्ध नही होता है कि अपीलान्ट सीमादेवी

के पिता लादूलाल है। तथा नामान्तरण सं.146 दिनांक 15.02.2008 जो ग्राम पंचायत सामरिया कंला द्वारा खोला गया था मे ग्राम पंचायत सामरिया कंला को पक्षकार बनाया जाना अति आवश्क था किन्तु अपीलान्ट ने पक्षकार नही बनाया है।एवं नामान्तरण सं. 146 दिनांक 15.02. 2008 जो ग्राम पंचायत सामरिया कंला द्वारा खोला है वो लालू पिता कालू नाई की मृत्यु होने पर खोला है जबकी अपीलान्ट ने अपने प्रा.पत्र मे लादूलाल पिता लालू जी नाई की मृत्यु हो जाने पर विरासत के आधार पर नामांन्तरण सं.146 दिनांक 15.02.2008 जो ग्राम पंचायत सामरिया कंला द्वारा खोला जाना बताया है। साथ ही विरासत के आधार पर नामांन्तरण सं. 146 दिनांक 15.02.2008 जो ग्राम पंचायत सामरिया कंला द्वारा खोला गया है उसे लगभग 16 वर्ष से अधिक समय हो चुका है ऐसी स्थिति में अपील प्रार्थना पत्र के साथ दफा 5 अधिनियम का प्रा.प्रत्र पेश करना अनिवार्य था। किन्तु दफा 5 अधिनियम का प्रा.पत्र अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया। प्रकरण के सभी बिन्दूओं पर उक्तानुसार गहन मनन करने पर अपील अपीलान्ट की स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होती है।

अतः अपील अपीलान्ट की एतद् द्वारा खारिज कीं जाती है।

आदेश आज दिनांक 06.08.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी, बेगूं
जिला चित्तौडगढ़(राज.)